राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.15(1)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांकः - 7 MAY 2020

1 निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय :– ग्राम पंचायत सहायकों की समयावधि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 259 के उप नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक 28.01.2017 द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर उनके कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में दिनांक 11.04.2017 एवं 07.12.2017 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये।

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.11.2019 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक बढ़ाया गया था।

अतः उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जाने पर उनकी समयावधि में 31 मार्च, 2021 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि ग्राम पंचायतें अपनी निजी आय से ग्राम पंचायत सहायकों का मासिक मानदेय का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित करेंगी। छठवें राज्य वित्त आयोग के गठन के पश्चात वर्ष 2020–21 के लिए आयोग की अनुशंषा प्राप्त होने एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत कार्यवाही अपेक्षित होगी।

यह स्वीकृति पंचायती राज विभाग की आई.डी. संख्या 1545 दिनांक 07.05.2020 में प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

www.rajteachers.com

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट सचिव, जयपुर।
8. जिला कलक्टर्स – समस्त।
9. संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, समस्त।
10. ज़िला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
11. विकास अधिकारी – समस्त।
12. मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – समस्त।
13. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।

(अनीता मीणा)
शासन उप सचिव